

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-207 / 2019-20



(छोटानापुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

नितेश तीडू

- विक्रेता

1. जितन देवी वो 2. गौरी सुरीन

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	कआदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
03.03.20	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक नितेश तीडू पिता निरल तीडू ग्राम-मैदान टोली, थाना-खूँटी, जिला खूँटी ने क्रेता 1. जितन देवी पति राम मुण्डा वो 2. गौरी सुरीन पति सन्दीप सुरीन दोनों ग्राम-सिल्दा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानापुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="240 719 1380 813"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जियारप्पा</td> <td>227</td> <td>76</td> <td>1320</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0859731157 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 141 दिनांक 14.02.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं० 741 दिनांक 17.10.20 है। खतियानी रैयत का नाम मुन्डुलु मुण्डा वैगरह हैं। पंजी II के अनुसार मरियम तिडू वगै० के नाम भूमि का रकबा 2.34 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.40 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 9214.00 (नौ हजार दो सौ चौदह)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.14 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण नितेश तीडू पिता निरल तीडू को 1. जितन देवी पति राम मुण्डा वो 2. गौरी सुरीन पति सन्दीप सुरीन के साथ ग्राम जियारप्पा खाता सं० 76 खेसरा संख्या 1320 कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 9214.00 (नौ हजार दो सौ चौदह)रु० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">               भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              खूँटी।         </p> <p style="text-align: center;">               भूमि सुधार उपसमाहर्ता,              खूँटी।         </p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	जियारप्पा	227	76	1320	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
जियारप्पा	227	76	1320	0.20								